

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :-

हेमराज गुर्जर (आरएसएस)

प्रकरण संख्या:-205/2013

दाखर दिनांक:- 19.12.2013

जीसीएमएस नं. 2013/00601

उनवान

सोनपाल पुत्र गोरखी जाति जाटव निवासी बनकी रोड तहसील हिण्डौन
जिला करौली

वादी

बनाम

बद्री पुत्र गोरखी जाति जाटव निवासी बनकी तहसील हिण्डौन जिला
करौली राज0

प्रतिवादीगण-15

दावा बाबत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 25.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण व वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण व वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 19.12.2013 से आज दिनांक तक तलवाने में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे है एवं वादीगण एवं वादीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की गयी है। अतः मुकदमा न0 205/2013 सोनपाल बनाम बद्री आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन